न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) नागौर

बइजलास–रामजस विश्नोई (आर.ए.एस.)

वाद अधीन धारा 88 व 53 राज. टिनेन्सी एक्ट वास्ते विभाजन व खातेदारी घोषणा

संख्या :– 03/2001 (235/2016)

वादी	प्रतिवादी
1. कोजाराम पुत्र हेमाराम जाति राईका निवासी कुचेरा (फौत) कायम मुकाम– 1/1 सियाराम पुत्र कोजाराम 1/2 मकू पुत्री कोजाराम 1/3 समु पुत्री कोजाराम जति राईका निवासी कुचेरा	1. घेवरराम पुत्र मूलाराम जाति राईका निवासी कुचेरा (फौत) कायम मुकाम– 1/1 जयराम पुत्र घेवरराम 1/2 सपुदेवी पत्नी घेवरराम (फौत) 1/3 संतोष पुत्री घेवरराम 2. मु. ऐजा पत्नी मूलाराम जाति राईका निवासी कुचेरा (फौत) कायम मुकाम– 2/1 प्रेमी पुत्री मूलाराम पत्नी मोडाराम 3. तहसीलदार, नागौर हाल मूण्डवा

उपस्थिति 1. वादीगण की ओर से श्री गंगासिंह कालवी, एडवोकेट।

2. प्रतिवादीगण की ओर से श्री अर्जुनदास, एडवोकेट।

निर्णय दिनांक :– **15.04.2021**

1– वादीगण ने निम्नलिखित वाद दिनांक 12.01.2001 को पेश किया है:–

1. यह है कि, वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 का शामलाती खातेदारी का एक खेत मौजा कुचेरा तहसील नागौर में ख.न. 858 रकबा 10–06 बीघा वाके है जिसमें आधा हिस्सा वादी का व आधा हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का है। खतौनी में दर्ज मूलाराम गुजर गया है जिसके उत्तराधिकारी प्रतिवादीगण 1 व 2 है।
2. यह है कि जमाबंदी खतौनी जो वाद के साथ पेश है में वादी के पिता का नाम छोगाराम लिखा है जो गलत है। वादी के पिता का नाम हेमाराम है। कोजाराम पुत्र छोगाराम नाम का कोई आदमी कुचेरा में नही है। यह वादी का ही नाम है जिसमें वल्दियत गलत लिख दी है। यह खेत वादी की माता व उसके देवर ने वादी के बचपन में जब वादी की उम्र 5–7 वर्ष की थी तब खरीदा था। देवर मूलाराम था सो उसकी भूल से ऐसा लिखा गया है।
3. यह है कि उक्त खेत मौके पर पक्षकारान के बंटी हुई है। इस खेत का उत्तरी हिस्सा रकबा 5–03 बीघा वादी के बंट का व शेष दक्षिणी आधा हिस्सा रकबा 5–03 बीघा प्रतिवादीगण के बंट व कब्जे काश्त में है तथा इसी प्रकार अपने–अपने हिस्से का लगान पक्षकार अदा करते आये है मगर राजकीय रेकर्ड में इसका अमल नही हुआ है सो यह वाद वास्ते घोषणा व विभाजन के

सहायक कलक्टर (मु.) नागौर

लिए पेश है तथा राज्य सरकार ऐसे दावों में आवश्यक पक्षकार होने से तहसीलदार नागौर को भी पक्षकार बनाया है।

4. यह है कि विकल्प में अगर घरेलू ताकिया के विभाजन को न माना जाय तो आधे हिस्से की भूमि वादी प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 से अलग करवाने का अधिकारी है।
5. यह है कि बिनाय वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण भूमि का विभाजन घरेलू ताकिया से पक्षकारान के बीच हो जाने के बावजूद भी उसका अमल राजकीय रेकर्ड में न होने से तथा वादी के पिता का नाम गलत लिख देने से बमुकाम मौजा कुचेरा तहसील नागौर में पैदा हुआ है जो अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार में है तथा दावा हाजा को सुनने के अधिकार अदालत हाजा को प्राप्त है।
6. यह है कि कोर्ट फिस मुताबिक निश्चित शिडूल के 1.00 रू वास्ते घोषणा व 1.00 रू वास्ते विभाजन कुल 2.00 रूपये के साथ पेश है।
7. यह है कि वादी प्रार्थना करता है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से सादिर की जाय:–
   क) यह है कि घोषणा की जाय कि विवादग्रस्त भूमि मौजा कुचेरा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की शामलाती खोतदारी की है जिसमें आधा हिस्सा वादी का व आधा हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का है।
   ख) यह है कि उक्त भूमि का विभाजन वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के बीच कर उसमें से खसरा संख्या 858 रकबा 10.06 बीधा में से 5.03 बीघा उत्तरी हिस्सा वादी के बंट में व खातेदारी का व शेष 5.03 बीघा दक्षिणी हिस्सा प्रतिवादीगण की खातेदारी का घोषित किया जाय।
   ग) यह है कि अगर घरेलू तालकिया के विभाजन को प्रमाणित न माना जाय तो उस हालात में इस भूमि का विभाजन भौतिक रूप से किया जाए व आधा हिस्सा भूमि वादी के बंट की घोषित की जाय।
   घ) यह है कि आवश्यक इन्द्राज दुरूस्ती राजकीय रेकर्ड में की जाए।

2– प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकाम व प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से दिनांक 04.07.2003 को जवाब दावा निम्नानुसार पेश किया गया–

1. यह है कि वाद का पद संख्या 1 जिस प्रकार से लिखा गया है गलत होने से अस्वीकार है। यह गलत है कि खेत खसरा नम्बर 858 रकबा 10–16 बीघा वाके कुचेरा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का शामलाती व उसमे आधा हिस्सा वादी का नही है बल्कि सम्पूर्ण खेत प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के दादा व पति मूलाराम व उसके भाई पूनाराम पुत्रगण छोगाराम का है तथा मूलाराम गुजर जाने से उसके स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 उस पर काबिज है तथा काश्त करते है।

सहायक कलेक्टर (मु.)
नागौर

2. यह है कि वाद का पद संख्या 2 गलत होने से अस्वीकार है। वादी के पिता का नाम हेमाराम है जबकि हेमाराम के नाम मे न तो खाता कभी था व न है। छोगाराम के 2 लड़के थे। मूलाराम व पूनाराम जिन्होनें यह खेत किसनाराम पुत्र लिछमणराम व हरजी पुत्र कालू माली सा. कुचेरा से खरीदा था। बैचान पत्र में पूनाराम की जगह कोजाराम दर्ज कर दिया क्योंकि पूनाराम को बचपन में कोजाराम भी कहते थे। यह गलत है कि वादी की माता के मूलाराम देवर लगता हो, जबकि वादी के पिता का नाम हेमाराम था तथा मूलाराम के कोई भाई हेमाराम नही था तथा हेमाराम के पिता का नाम भी छोगाराम नही था, न ही वादी ऐसा कथन ही करता है। ऐसी कोई भूल मूलाराम ने नही की। कोजाराम वादी, प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के खेत पर जबरन कब्जा करना चाहता है जिसके वो अधिकारी नहीं है।

3. यह है कि पद संख्या 3 वाद गलत होने से अस्वीकार है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बीच कोई बंटवाड़ा मौके पर नहीं हुआ है व न ही मौके पर कोई सींव है तथा न ही वादी के पास 5–03 बीघा उत्तरी हिस्सा है बल्कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 अपनी सुविधा के अनुसार अलग–अलग भाग पर अलग जिन्स की काश्त करते है, जो कि बंटवाड़ा नही है। वादी का कब्जा काश्त इस खेत पर या किसी भी हिस्से पर नहीं है जिसमे ऐसा बंटवाड़ा न तो मौके पर हुआ है व न ही कराने का अधिकारी है व न ही लगान ही पक्षकारान अलग–अलग अदा करते आ रहे है। लगान अब लगता ही नही है। दावा बंटवाडा का गलत पेश किया है न ही ऐसा बंटवाडा कराने का वह अधिकारी ही है। वादी की वल्दियत ही सही नही है जिससे यह वाद रिकार्ड दुरूस्ती के लिए बिना बंटवाड़ा का हो नहीं सकता क्योंकि वादी का नाम ही खाते में नही है जिससे वह दुरूस्ती के बंटवाड़ा का वाद पेश नही कर सकता इसलिए वादी का वाद काबिल खारिज किए जाने के है। तहसीलदारजी के विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व धारा 80 सीपीसी का नोटीस दिया जाना आवश्यक है। बिना वैधानिक नोटिस के ऐसा वाद काबिल चलने के नही है।

4. यह है कि वाद का पद संख्या 4 गलत होने से अस्वीकार है। वादी ऐसा बंटवाडा का वाद बिना घोषणा करवाए नहीं ला सकता है। दावा काबिल खारिज किये जाने के है।

5. यह है कि वाद का पद संख्या 5 गलत होने से अस्वीकार है। वादी को हम प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई बिनाय दावा पैदा नहीं होता है। ऐसा कोई बंटवाड़ा हम प्रतिवादीगण के साथ नही हुआ व न होने का प्रश्न ही पैदा होता है। बाकी पद कानूनी है एवं काबिल गौर अदालत वाला के है।

6. यह है कि वाद का पद संख्या 6 कानूनी है एवं काबिल गौर अदालत वाला के है।

7. यह है कि पद संख्या 7 वाद गलत होने से अस्वीकार है। वादी हम प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवाड़ा की कोई भी

नागौर

रिलीफ प्राप्त करने का अधिकारी नही है। दावा वादी काबिल खारिज किए जाने योग्य होने से दावा खारिज फरमाया जावें।

अतिरिक्त आपत्तियां

8. यह है कि वादी के पिता का नाम हेमाराम व दादा का नाम कालूराम है जबकि प्रतिवादी घेवरराम के पिता का नाम मूलाराम व दादा का नाम छोगाराम है। इस तरह इनके सजरा खानदान में तीन चार पीढियों तक कोई ऐसा रिश्ता पक्षकारान के बीच नहीं है। न तो प्रतिवादी संख्या 2 ऐजा वादी की भोजायी लगती है। स्व. प्रतिवादी सं. 1 घेवरराम के पिता मूलाराम के एक भाई पूनाराम है। दिनांक 10.04.1968 को प्रतिवादी के पिता श्री मूलाराम व पूनाराम ने उक्त खेत को किशन वल्द लिछमण, हरजी वल्द कालू से रू 200/– में खरीद कर अपने नाम से रजिस्ट्री करवाई थी एवं उसकी पालना में पटवारी ने नामान्तरकरण भरा था। रजिस्ट्री में दस्तावेज लेखक ने पूनाराम की जगह कोजाराम दर्ज कर दिया क्योंकि पूनाराम को बचपन में कोजाराम के नाम से भी पुकारते थे। उनकी वल्दियत व सकूनत सही है। मूलाराम व पूनाराम उर्फ कोजाराम की वल्दियत छोगाराम सही लिखा है। असल दस्तावेज प्रतिवादीगण के दादा व माता के देहान्त हो जाने से मिल नही रहा है जिससे पंजीयन विभाग से नकल प्राप्त कर पेश की जाएगी।
9. यह है कि वादी की माता का प्रतिवादी संख्या 3 के पति मूलाराम देवर नही लगता है। मूलाराम छोगाराम का पुत्र है। जबकी वादी हेमाराम का पुत्र है एवं हेमाराम, कालूराम का पुत्र है, इसलिए इनकी भी वल्दीयत नहीं मिलती है। प्रतिवादी के दस्तावेज में पूनाराम को जिसे बचपन में कोजाराम कहते थे। रजिस्ट्री में कोजाराम मात्र लिखने से वादी आधे खेत का मालिक बनना चाहता है व बंटवाड़ा के गलत दावे के आधार पर खेत प्राप्त करने का गलत प्रयास कर रहा है जिससे वाद खारिज किये जाने योग्य है। वादी का कोई हिस्सा बंट नहीं है जिससे किसी प्रकार की दुरूस्ती व बंटवाड़ा प्राप्त नही कर सकता। अतः वादी का वाद मय खर्चा खारिज किया जावें।

3 – वादीगण दोनों पक्षों से विचार विमर्श के बाद दिनांक 06.09.2018 को निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई–

(1) आया मौजा कुचेरा के ख.न. 858 में आधा हिस्सा वादी का तथा आधा हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 व 2 की घोषणा करवाने के वादी अधिकारी है?
(जिम्मे वादी)

(2) आया मौजा कुचेरा के ख.न. 858 रकबा 10–06 में से 5–03 उत्तरी हिस्सा वादी के बंट में व शेष 5–03 दक्षिणी हिस्सा प्रतिवादीगण की खातेदारी में घोषित करवाने के वादी अधिकारी है?
(जिम्मे वादी)

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

(3) आया वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त नहीं होने से वादी किसी प्रकार की दुरूस्ती व बंटवाड़ा प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

(जिम्मे प्रतिवादी)

(4) आया तहसीलदार के विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस नही देने से वाद खारिज योग्य है?

(जिम्मे प्रतिवादी)

(5) आया वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई बिनाय वादा पैदा नही होने से भी वाद खारिज योग्य है

(जिम्मे प्रतिवादी)

(6) अन्य दादरसी

4— गवाह – वादी की ओर से निम्न गवाहों के बयान कराये गये:–

(I) वादी कोजाराम पुत्र हेमाराम ने अपना शपथ–पत्र दिनांक 15.09.2008 को पेश किया तथा दिनांक 26.02.2009 को बयान (PW-1) दर्ज कराये कि "मैने शपथ–पत्र जो पेश किया है, सही किया है। इसमें खतौनी सम्वत 2055–58 जो प्रदर्श–1 है। भाट के पास जो वंशावली लाया हूँ जो प्रदर्श–2 है। मुकदमा जो कत्ल का चला था, उसकी नकल प्रदर्श–3 है। इस मुकदमा में जो निर्णय हुआ मामला संख्या 37/03 व 45/02 जो प्रदर्श–4 है

जिरह वकील प्रतिवादी– मेरे पिता का नाम हेमाराम है, मेरे दादाजी का कालूजी था घेवर के बाप का नाम मूलाराम था। घेवर के दादा का नाम छोगाराम था। छोगाराम के तीन बेटे है। छोगाराम के तीन लड़के मूला, पूना व जस्साराम थे। यह खेत खरीदा तब मैं छोटा था। यह खेत मेरी माता ने खरीदा था। यह गलत है कि पूनाराम को कोजाराम कहते हो। कोजाराम मेरे परिवार में कोई नही था यह गलत है कि कोजाराम, मूलाराम दो भाई थे, जो छोगाराम के लड़के हो, जो राईका हो। कुचेरा के हो, यह गलत है। यह गलत है कि इस खेत को मूलाराम व कोजाराम ने खरीदा हो बल्कि मेरी माता ने खरीदा था EX D.A.-1 में कोजाराम व मूलाराम पुत्र छोगाराम राईका कुचेरा का नाम गलत लिखा है। मैं आज 70–80 वर्ष का हो गया यह खेत खरीदा मैं कितने वर्ष का था, जो मुझे याद नही। थोडी बहुत समझ थी। रजिस्ट्री मेरे सामने कब हुई मुझे पता नही। यह कहना गलत है कि इस खेत पर मेरा कब्जा खेत खरीदने के बाद रहा हो। इस खेत खरीदे हुए 40 वर्ष हो गये। रजिस्ट्री मेरे पास में थी। कितने वर्षों के बाद मालूम हुआ जो मुझे याद नहीं। यह कहना गलत है, खतौनी EX-1 है उसमें नाम कोजाराम के बाप का नाम छोगाराम गलत लिखा है। कोजाराम मैं ही हूँ। यह कहना गलत है भाट से वंशावली जो पैसे देकर ली हो। खेत कितने रूपये में लिया जो मुझे याद नहीं खेत पर कोजाराम यानि मेरा कब्जा है। घेवर के मरने के बाद यह खेत पड़ा है, बात यह सही है। यह गलत है कि यह हमने बोया हो और जाकर उसको

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

मारा हो। इस खेत के मैनें बिगोडी भरी है। यह रसीदे हमने मुकदमों में पेश की है। ये रसीदे किसके नाम थी जो मुझे याद नही। यह गलत है कि इस खेत की बिगोडी मूलाराम और घेवरराम ने भरी हो बल्कि मैने भरी है घेवरराम का मरने का मुकदमा हमारे पर चला है जिसकी अपील हाई कोर्ट में चल रही है, तो मुझे पता नही। मंशीलाल मेरा पोता है घेवरराम के मारने का मुकदमा, मंशीलाल पर चला तो मुझे पता नही। मुझे पता नहीं कि घेवरराम के कत्ल का मुकदमा की कल पेशी है। खेत की रजिस्ट्री मेरे पास पड़ी है, बंटवाड़ा की लिखा पड़ी हो। मुझे पता नही। जो खेत खरीदा उसकी रजिस्ट्री घर ही पड़ी हो या पेश कर दी हो। वकील साहब ने दावा पढ कर सुनाया और उस पर मैनें अंगुठा किया। यह सही है कि खेत खरीदा उस समय मैं 5–7 साल का था। यह गलत है कि मेरे घेवर के शामिल में खेत बोया हो बल्कि खरीदते ही बंट कर लिए थे। बंट की लिखा पढी किससे करवायी मुझे याद नही। यह गलत है कि यह खेत घेवर अकेला ने लिया हो। पूनाराम की जगह कोजाराम लिख दिया हो बल्कि कब्जा करने की नियम से झुठा दावा किया हो।

(II) गवाह वादी कोजाराम पुत्र मूणाराम जाति राइका (बार) निवासी कुचेरा उम्र 70 वर्ष ने दिनांक 21.04.2009 को शपथ–पत्र पेश किया तथा अपने बयान (P.W.2) दिनांक 21.04.2009 में दर्ज कराया कि "मैनें जो शपथ–पत्र पेश किया है, जो मेरे निजी ज्ञान से सही है, उस पर मेरे हस्ताक्षर है। cross examine वाद ग्रस्त खेत ग्राम कुचेरा की दिखणादी कांकड में स्थित है। इस खेत के आसपास मेरा खेत नहीं है। मैं लरड़ी व बकरी चराता हूँ इस खेत पर मै कभी बोने नही गया था। मैं इस खेत कभी नहीं गया बल्कि औरत जाती है गत वर्ष इस खेत में कुछ नही बोया था। खेत टंटा हुआ तब से पड़ा है। टंटा हुए कितने साल हुए मुझे याद नहीं वादी कोजाराम मेरा भाई बंद है, लगता कुछ नही है। हमारे इनके शादी विवाह होता है। कालू का पिता गोद आया था फिर कहा कि गोद नही लिया, रावन्डा था इसलिए सहारा लिया था। वादग्रस्त खेत हेमजी का बेटा कोजाराम ने मोल लिया था। किसनाराम हरजीराम माली से 600/– रू में लिया था। वक्त रजिस्ट्री मैं साथ नहीं आया था। रजिस्ट्री कोजाराम, मूलाराम पुत्र छोगाराम के नाम करवाई थी। रजिस्ट्री मैनें देखी थी। मूलाराम गुजरा तब पूनाराम रजिस्ट्री लेकर आया, तब मैनें देखी थी। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। यह गलत है कि मैं वादी के कहने से झुठा बयान देने आया हूँ।"

(III) गवाह वादी मुकनाराम पुत्र अबजी जाति राइका उम्र 60 वर्ष निवासी मुन्दियाड़ ने दिनांक 22.06.09 को अपना शपथ पत्र पेश किया तथा बयान (P.W. 3) दिनांक 23.07.09 में दर्ज कराया कि "शपथ पत्र जो मैनें पेश किया है वो मैनें सही दिया है जिस पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। जिरह वकील प्रतिवादी – मेरा खेत मुजाड में है। हम ऐवड़ लेकर जगह–जगह फिरते है। हम ऐवड़ लेकर बाहर जाते है तो दो चार महिने लग

सहायक कलेक्टर (मु.)
नागौर

जाते है कुछ महिने लग जाते है। ऐवड चराना हमारा पुस्तैनी धन्धा है। मैं कोजाराम और घेवरराम को 30–32 साल से जानता हूँ। हम कुचेरा आते जाते रहते है। कोई विवाह, आणा, मौकाण दुःख तकलीफ आदि के लिए जाते है। कुचेरा मैं अभी दो महिना पहले जाकर आया हूँ। शपथ–पत्र में जो लिखा है वह पक्षकारान के बारे में जानकारी है वो लिखा मैनें हस्ताक्षर किये है तीन जगह किये है। मैं कुचेरा खेतों में राजीखुशी थे तब खेतों में जाता था अब लड़ाई झगड़ा करते है तब नहीं जाते है। विवादित खेत के बारे में लड़े थे वो कुचेरा में है। यह खेत कब किस तारीख को मोल लिया मुझे पता नही। यह कहना गलत है घेवरराम के दादा ने खेत खरीदा था। यह कहना गलत है कि मैं रिश्तेदारी की वजह से झुठे बयान दे रहा हूँ मेरी शादी को 35 वर्ष हो गये है। यह बात सही है कि मैं शादी से पहले नही जानता था अगूणी साइड में घेवरजी का बंट है आथूणी साइड में कोजाजी का बंट है।"

(IV) शपथ–पत्र गवाह रेंवतराम पुत्र मेघाराम जाति राइका उम्र 65 वर्ष निवासी कड़लू दिनांक 22.06.09 को पेश किया तथा दिनांक 23.07.09 को बयान दिया कि "शपथ–पत्र मैंने पेश किया है जो सही है जिस पर अंगूठा निशान होना स्वीकार किया।

– जिरह वकील प्रतिवादी – मेरा खेत ग्राम कड़लू में है। यह बात सही है कि कुचेरा में हमारे कोई खेत नही है कुचेरा में हम मिलने जुलने पर जाता हूँ। तथा 6 माह शादी में चला जाता हूँ। विवादित खेत 10 बीघा है। विवादित खेत के चारों दिशाओं में उत्तर में माली का खेत था, अब किसका खेत है मुझे पता नही। माली पहले पांच चार वर्ष पहले कब्जा करके बैठा था पांच साल सात या आठ साल हो गये। सात आठ साल पहले शामिल बोता हूँ बल्कि अलग अलग बोते थे। कोजाराम मेरा मामा है यह गलत है कि मैं कोजाराम के कहने से झूठे बयान दे रहा हूँ। यह सही है कि कोजाराम के कहने से यह बयान देने आया हूँ।

5– (i) वादीगण प्रतिवादी की ओर से गवाह जयराम पुत्र श्री घेवरराम पुत्र मुलाराम (DW 1) ने अपना शपथ–पत्र दिनांक 11.01.2013 को पेश किया तथा दिनांक 18.03.2013 को उपस्थित हुए तथा निम्नानुसार बयान दर्ज कराये गये–

नोट शपथ–पत्र पेश किया जिस पर मेरे हस्ताक्षर है, जो पढ़कर समझकर पेश किया है। खतौनी प्रदर्श A 1 है। रजिस्ट्री बेचान की प्रतिलिपि प्रदर्श A 2 है।"

जिरह वकील वादी – मेरे पिता का नाम घेवरराम है। मेरे दादा का नाम मूलाराम है। छोगाराम के बाप का नाम कालूराम है। कालूराम के तीन बेटे 1. छोगाराम 2. लूणाराम 3. हेमाराम है। हेमाराम के दो बेटे बिड़दाराम व कोजाराम है। हेमाराम के दो लड़के है। छोगाराम के तीन बेटे है। कोजाराम, मूलाराम व जसाराम है। कोजासाम के चार बेटागण है। देवाराम, गुमानाराम, सूरताराम व भाकरराम चार लड़के थे। मांगूराम नाम का लड़का छोगाराम के हो तो मुझे पता नही। इस दावा में वंशावली पेश करने के लिये हम भाट के

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

पास नही गये न कभी मेरे पिताजी गये। कालूराम के भाई मोतीराम के कोई पोकरराम नाम का लड़का था, मुझे जानकारी नही। छोगाराम का लड़का कूनाराम, पोकर के गोद नही गया। कूनाराम नाम का लड़का छोगाराम का लड़का, कूनाराम को दोनों ही नाम से पुकारते है। पूनाराम का राशन कार्ड बना हुआ है। वोटर लिस्ट में भी नाम है। अभी परिवार कार्ड में कूनाराम लिखा हुआ है। पहले वाले में भी कुनाराम लिखा हुआ है। वोटर लिस्ट में अभी तो नाम कूनाराम लिखा हुआ है। पहले क्या लिखा हुआ था मुझे पता नही। मैनें वोटर लिस्ट परिवार कार्ड की नकल ली है जिसमें कोजाराम पुत्र छोगाराम नाम लिखा हुआ है। यह कहना गलत है कोजाराम पुत्र हेमाराम नाम का एक भी व्यक्ति कालूराम के वंशज हो बल्कि दो है। यह सही है कि दावा करने वाले कोजाराम का नाम हेमाराम ही है। रजिस्ट्री में यह गलत लिखा हुआ। मूलाराम पुत्र कोजाराम बेचान में बहक मूलाराम व कोजाराम पुत्रगण छोगाराम सही लिखा है। अज खुद कहा कि कोजाराम को पूनाराम पुकारते है बल्कि पूनाराम की जगह कोजाराम होना चाहिए या कोजाराम की जगह पूनाराम नाम दुरूस्ती हेतु कार्यवाही नही की। दुरूस्ती इसलिए की कि कोजाराम का नाम सही लिखा हुआ है। मुझे पता नही कि लूणाराम पुत्र कालूराम, पोकरराम के गोद गया है। असल बेचान का दस्तावेज मेरे पिता के पास हो सकता है, जो मेरे पास तो नहीं है। हमने पिताजी से असल दस्तावेज के बारे मे न तो पूछा न उन्होनें मुझे बताया। गवाह को असल दस्वावेज बताया और उसको जो दावे में प्रदर्श– 2 हुआ है। यह असल दस्तावेज कोजा के पास क्यों है मुझे पता नही। मैं मुकनाराम पुत्र अबजी जाति राईका निवासी मुंदियाड़ को जानता हूँ, जो कोजाराम का भतीजा है। मेरे इनसे कोई दुश्मनी नहीं है। इसका मामा सुसराल कोजा के परिवार में हो तो पता नहीं। रेंवतराम पुत्र मेघाराम जाति राईका निवासी कड़लू को जानता हूँ जो वादी का भांजा है जिससे मेरी कोई अदावत नहीं है। कोजाराम पुत्र लूणाराम राईका निवासी कुचेरा को जानता हूँ इनसे कोई दुश्मनी नही है। यह कहना गलत है कि वादी कोजाराम व मूलाराम के शामलाती में खेत खरीदा हो। यह कहना गलत है कि उतरादी हिस्से में वादी काश्त करता हो। प्रतिवादी दिखणादी में काश्त करता हो। सम्पूर्ण खेत पर हमारा ही कब्जा है। यह कहना गलत है कि हम जब खेत पर कब्जा करने गये हो और झगड़ा हुआ हो और घेवरराम की मृत्यु होई हो।

(ii) देवाराम पुत्र पूनाराम उर्फ कोजाराम जाति राईका उम्र 60 वर्ष निवासी कुचेरा ने दिनांक 11.01.2013 को शपथ–पत्र साक्ष्य में प्रस्तुत किया तथा दिनांक 18.03.2013 को (DW 2) के रूप में बयान दर्ज कराये कि:–

नोट– जो शपथ–पत्र पेश हुआ है उस पर मैंने सुन समझकर हस्ताक्षर किये है। उस पर मेरे ही हस्ताक्षर है।

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

जिरह वादी वकील–मेरे दादा का नाम छोगजी था। मूलजी छोगजी भाई थे। मूल जी, पोकरजी के गोद गये हुए थे। हमारा वंशावली पढने वाले राव गांव लाम्बिया है। नाम रूपदान है। रावजी जब आते है तब ब्याह, जन्म, मरण सबका लेखा जोखा करवाते है। हेमाराम के बेटा बिरदा, जीवा, कोजा लिखा हुआ है। जो सही है। छोगजी के लड़के मूला, पूना व जस्स्सा लिखा है, वो सही लिखा है। घेवर मेरे बाबा का बेटा भाई है। यह कहना गलत है कि खेत के उतराद भाग को वादी काश्त करता हो। प्रतिवादी अकेला ही काश्त करता है। घेवरराम की मृत्यु इसी विवादित भूमि पर हुई। क्यों हुई किस कारण हुई मुझे पता नहीं। मेरा पड़ौस में कोई खेत नही है। घेवर राम खेत पर कब्जा करने गया था, कोजाराम ने ठोका था तब मर गया। मेरा इस खेत में कोई हिस्सा नही है। ऐजा मूलाराम की पत्नी है। यह कहना गलत है कि विवादित खेत मूलाराम व कोजाराम ने खरीदी हो बल्कि मूलाराम अकेले ही खरीदी थी। मैंने खेत की रजिस्ट्री नही देखी। कूनाराम, मूलाराम का भाई था। मेरा पिता व कूनाराम मूलाराम भाई था। राशन कार्ड में पिता का नाम कुनाराम लिखा हुआ है। वोटर लिस्ट में कुनाराम था। उनका नाम कही भी कोजाराम नही है, लाड से कोजाराम कहते थे। गवाह मुकनाराम से हमारी दुश्मनी है क्योंकि जो कोजाराम का भतीजा है। कोजाराम कुचेरा का है जिसके मेरे दुश्मनी है। मेरे पिताजी पेशी करवाने जाते थे। किस कोर्ट में मुकदमा है मुझे पता नही। बाबा का बेटा भाई है इसलिए गवाही दे रहा हूँ।

(iii) भागाराम पुत्र जस्साराम जाति राईका आयु 35 वर्ष निवासी कुचेरा ने प्रतिवादी के पक्ष में दिनांक 05.06.14 को शपथ पत्र पेश किया तथा दिनांक 10.02.2016 को उपस्थित होकर बनाम कलमबद्ध कराये। नोटः– गवाह में साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र पूर्व में पेश किया जिस पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया एवं शपथ–पत्र लिखित कथन सही व सत्य है।

जिरह वकील वादी – मुझे मेरे जन्म की संवत व वर्ष याद नही है। जयराम मेरे काका बाबा में काका है। विवादित खेत के पड़ोस में मेरा खेत नही। मेरे पिता जसाराम जिन्दा है। मेरे पिता 70 वर्ष के वृद्ध है, इसलिए गवाह देने नही आ सकते। मैं आया हूँ। विवादित खेत के उत्तर में शैतानराम का खेत है, दक्षिण में रास्ता है। रास्ते के बाद जगदेव का खेत है। पूर्व में खेत के रास्ता है। विवादित खेत के पूर्व व दक्षिण रास्ता है। पूर्व में रास्ता छोड़कर मदनजी माली का खेत है। विवादित खेत में आथुण में जगदेवजी का खेत है। यह कहना गलत है कि खेत के दो भाग हो। यह कहना गलत है कि मुतनाजा खेत का उत्तरी हिस्सा 5 बीघा कोजाराम के कब्जे में हो। कोजाराम हेमाराम का लड़का है। हेमाराम, कालू का लड़का है। कालू राईका के तीन लड़के मोहनजी, हेमजी, छोगजी है। छोगा के तीन लड़के है। यह कहना गलत है कि छोगा के एक ही लड़का मूलाराम हो। यह सही है कि मूणाराम पोकर के गोद गया है। मुणाराम व मोहनराम एक ही आदमी है। छोगाराम के कोजाराम

सहायक कलेक्टर (मु.)
नागौर

नाम का कोई लड़का नही था। यह कहना सही नही है कि कोजाराम नाम का एक ही व्यक्ति इस परिवार में हो। विवादित खेत में लड़ाई हुई थी जिसमें घेवरराम की मृत्यु हो गई थी। यह कहना गलत है कि कोजाराम वगैरा को खेत बोने से रोका हो और लड़ाई हुई हो। विवादित खेत की रजिस्ट्री 10.06.68 को हुई थी। उक्त खेत की रजिस्ट्री मैंने देखी थी। जब से मैं छोटा था तब से रजिस्ट्री घेवर के पास देखी। उक्त रजिस्ट्री में खरीददार मूलाराम है। रजिस्ट्री में एक कोजाराम का नाम भी है। खेतों बीज कोपरेटी से लेने जाते तब मैंने खेत की रजिस्ट्री देखी। रजिस्ट्री मैं घर पर ही देखता था। प्रश्न – बीज खाद लेने के लिए खतौनी देखते है? उत्तर – मुझे ध्यान नही, मैंने घेवरराम के कत्ल के मामले में भी वादी के विरूद्ध बयान दिये थे। यह कहना गलत है कि प्रतिवादी मिलने वाला होने के कारण झूठी गवाही दे रहा हूँ।

वकील वादी – श्री गंगासिंह कालवी

कोजाराम का दावा यह है कि ख.न. 858 रकबा 10–06 में से 1/2 हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं. 1 के शामलाती का खेत है जो वह छोटा था तब उसके नाम रजिस्ट्री कराई थी। बयानों के आधार पर रजिस्ट्री वादी के पास है। इनको गलती का अहसास कब हुआ उसी समय शुद्धि रजिस्ट्री करवा लेते लेकिन इसके बारे मे ये मौन है। दावा लेकर ये आये है। इनको साबित करने की जिम्मेदारी इनकी है। वादी के अलावा कोजाराम को पेश किया जो इनके रिश्तेदार है। दावा आज ला रहो हो, और रजिस्ट्री पेश नही कर रहे है चारों पड़ौसी के बयान होने चाहये। दो माइयों के नाम रजिस्ट्री करवाई है। कोजाराम घेवरराम पि. है। कब्जा लेने का दावा किया । म्युटेशन भी भर गया। कोजाराम बचपन का नाम था बाद में पूनाराम नाम दावा किया तब बेचानकर्त्ता जीवित है। दस्तावेज के गवाहो को पेश नही किये है। दावा करने वाले का उसकी बाते साबित करनी होती है। परिस्थितियां साबित करें। जबरन घूस गये और मार दिया। प्रतिवादी ने चार गवाह पेश किये। लिखित दस्तावेज के विरूद्ध मौखिक साक्ष्य का कोई महत्व नही है। दस्तावेज बनाने में रही भूल/त्रुटि सही करने की कोई गवाह पेश नही की। यह हो सकता है इस पर डिक्री नही मिल सकती। होना साबित करना पड़ेगा इनके साक्ष्य दावे की पुष्टि नही कर पाये है। लिखा पढ़ी कही भी नही मिलती है।

6. दावा, जवाब दावा, गवाह वादी व प्रतिवादी तथा प्रस्तुत दस्तावेज के गहन अध्ययन व बहस पर मनन के बाद तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार किया जाता है–

तनकी सं.– 1. आया मौजा कुचेरा के ख.न. 858 में आधा हिस्सा वादी का तथा आधा हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 व 2 की घोषणा करवाने के वादी अधिकारी है?

(जिम्मे वादी)

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

वादी ने प्रदर्श–1 जमाबंदी नकल ग्राम कुचेरा सम्वत 2055–58 प्रदर्शित करायी है जिसमें खसरा नम्बर 858 रकबा 10–06 बीघा की खातेदारी में नाम "मूलाराम, कोजाराम पि. छोगाराम राईका सा.देह" दर्ज है। प्रदर्श–2 में भाट की बही है जिसमें छोगाराम के तीन पुत्रगण मुलाराम, पुनाराम व जस्साराम के नाम दर्ज है तथा कोजाराम के पिता का नाम हेमाराम अंकित है तथा हेमा, छोगा व मुणजी पि. कालूराम दर्ज है।

प्रदर्श–3 पुलिस की अंतिम रिपोर्ट है तथा प्रदर्श–4 न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) नागौर का प्रकरण संख्या 37/03 (45/2002) का फैसला दिनांक 14.11.2003 है।

वादी ने अपने पक्ष में वादी स्वयं के बयान (P.W.-1) कोजाराम पुत्र मूणाराम जाति राईका (P.W.-2) मुकनाराम पुत्र अबजी राईका (P.W.-3) व रेंवतराम पुत्र मेघाराम जाति राईका (P.W.-4) के मुख्य परीक्षण के शपथ–पत्र पेश करते हुए, बयान कराये तथा उनसे जिरह वकील प्रतिवादी द्वारा की गई।

वादी (कोजाराम पुत्र हेमाराम) ने वाद पेश किया है कि ग्राम कुचेरा के ख.न. 858 रकबा 10–06 बीघा में उसका 1/2 हिस्सा खरीद सुदा कब्जे काश्त की भूमि है जिसका उत्तरी हिस्सा उसके कब्जे काश्त का होने से खातेदारी घोषित की जाकर बंटवाड़ा कराया जावें। रजिस्ट्री में उसकी वल्दियत गलत दर्ज हो गई जो जमाबंदी में भी निरन्तर चली आई है। यह खेत उसकी माँ ने घेवरराम के शामलाती में खरीदा था। प्रतिवादी ने इस दावे का विरोध किया तथा जवाब दावे में अंकित किया कि वादी की माता प्रतिवादी सं. 1 के पिता मूलाराम की भुजाई नहीं लगती है तथा उनकी पीढ़ी आपस में नहीं मिलती है। यह विवादग्रस्त खेत घेवररामं व पूनाराम उर्फ कोजाराम पि. मूलाराम ने प्रतिफल 200/– में किशन पुत्र लिछमण व हरजी पुत्र कालू माली से खरीदा था। दस्तावेज में पूनाराम की जगह कोजाराम का नाम दर्ज हो गया क्योंकि पूनाराम को बचपन में कोजाराम नाम से भी पुकारते थे। वादी कोजाराम, रजिस्ट्री में कोजाराम लिखने से आधे हिस्से का मालिक बनना चाहता है।

कोजाराम (P.W.-1) ने अपनी जिरह में अंकित कराया है कि "यह गलत है कि पूनाराम को कोजाराम कहते हो। EX DA-1 में कोजाराम व मूलाराम पि. छोगाराम राईका कुचेरा का नाम गलत लिखा है। रजिस्ट्री मेरे पास थी। यह कहना गलत है खतौनी EX-1 है जिसमें नाम कोजाराम के बाद का नाम छोगाराम गलत लिखा है। कोजांराम मैं ही हूँ। खेत पर कोजाराम यानि मेरा कब्जा है। यह गलत है कि यह खेत हमने बोया हो और जाकर उराको मारा हो। यह सही है कि खेत खरीदा उस समय मैं 5–7 साल का था। यह गलत है कि यह खेत अकेले घेवर ने लिया हो। पूनाराम की जगह कोजाराम लिख दिया हो। वकील वादी ने बहस में बताया कि हमारे खेत में कब्जा करने आया तब घेवरराम की मौत हुई। आधा खेत हमारा व आधा प्रतिवादी का है। हमने गवाहों से अपना कब्जा साबित किया है। वकील प्रतिवादी ने बहस में कहा

सहायक कलक्टर (उ.)
नागौर

कि बेचान दस्तावेज 1968 का व दावा 2001 में किया गया है, दावा म्याद बाहर है। बेचान दस्तावेज में वादी कोजाराम के बाप का नाम हेमाराम की जगह छोगाराम लिखा, इसकी जानकारी वादी को कब हुई। बेचान दस्तावेज में शुद्धि क्यों नही करायी गई। प्रतिफल की राशि विक्रेता को किसने अदा की, इसका कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। पड़ौसियान के गवाह नही कराई है। तथा जो गवाह कराये गये है वे अविश्वनीय है। वादी को वाद दस्तावेजी तथा जुबानी साक्ष्य से साबित करना होता है। प्रतिवादी को केवल वादी के साक्ष्य का खंडन करना होता है। वादी का कब्जा विवादित खेत पर 1968 से लगातार (बेरोकटोक) चल रहा है, ऐसा कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। इस वाद में विक्रय दस्तावेज महत्वपूर्ण है जिसमें मूलाराम कोजाराम पि. छोगाराम के पक्ष में बेचान हुआ है। ऐसी सूरत में छोगाराम के वारिस मूलाराम ही मालिक है तथा जवाब दावा में स्पष्ट लिखा है कि कोजाराम भूल से छोगाराम के पुत्र पूनाराम के स्थान पर लिख दिया था। पूनाराम बड़ा था जिसका बचपन का नाम कोजाराम था। यह नाम जीवित नहीं रहने की परम्परा के कारण लिखा जाता गया। वादी ने प्रतिवादी के घर से दस्वावेज चुरा लिये अब मुकदम्मे के डर से वादी मूल बेचान दस्तावेज पेश नही कर रहा है। दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के अध्ययन से पाया जाता है कि संदेह से परे अपनी सहखातेदारी व कब्जा काश्त की साबित करने में वादी असफल रहे है। अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी सं.– 2. आया मौजा कुचेरा के ख.न. 858 रकबा 10–06 में से 5–03 उत्तरी हिस्सा वादी के बंट में व शेष 5–03 दक्षिणी हिस्सा प्रतिवादीगण की खातेदारी में घोषित करवाने के वादी अधिकारी है?

(जिम्मे वादी)

नकल जमाबंदी सम्वत 2055–58 (प्रदर्श–1) के अनुसार विवादग्रस्त भूमि की खातेदारी मूलाराम, कोजाराम पि. छोगाराम के नाम से दर्ज है तथा वादी हेमाराम का पुत्र है। वादी की सहखातेदारी प्रतिवादी ने अपने जवाब दावा में स्वीकार नहीं किया है तथा यह भूमि अपनी बताई है तथा रजिस्ट्री में उसके बड़े भाई पूनाराम, जिसका बचपन का नाम कोजाराम बताया जाकर नाम अंकित होना लिखा है। गवाह के बयानों के अनुसार भी वादी का कब्जा निर्बाध व निर्विवाद नहीं है अतः तनकी सं. 1 के विवेचन अनुसार तनकी सं. 2 भी वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी सं.– 3. आया वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त नहीं होने से वादी किसी प्रकार की दुरूस्ती व बंटवाड़ा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

(जिम्मे प्रतिवादी)

वादी ने अपने दावा की इस्तदुआ में विवादग्रस्त भूमि के आधे उत्तरी हिस्से को अपना बताते हुए यह भी लिखा है कि यदि घरेलू तालकिया से विभाजन को

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

न माना जावें तो भौतिक रूप से उनके आधे हिस्से का बंटवाड़ा कराया जावें। वादी ने अपने बयानों में वकील प्रतिवादी की जिरह पर अंकित कराया कि "यह कहना गलत है कि इस खेत पर मेरा कब्जा खेत खरीदने के बाद रहा हो। यह गलत है कि यह खेत हमने बोया हो और जाकर उसको मारा हो। बंटवाड़ा की लिखा पढ़ी पड़ी है। यह गलत है कि मैंने घेवर के शामिल में खेत बोया हो बल्कि खरीदते ही बंट कर लिये थे। बंट की लिखा पढ़ी किससे कराई मुझे याद नहीं।"

दावे के जवाब दावा में प्रतिवादी ने पैरा सं. 3 में अंकित किया है कि "वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 3 के बीच कोई बंटवाड़ा मौके पर नहीं हुआ है न ही मौके पर कोई सींव नही है तथा नही वादी के पास 5–03 बीघा उत्तरी हिस्सा है बल्कि प्रतिवादी सं. 1 से 3 अपनी सुविधा के अनुसार अलग–अलग भाग पर अलग–अलग जिन्स काश्त करते है जो कि बंटवाड़ा नही है।"

वकील वादी ने बहस में बताया कि हमने बयानों से अपना कब्जा साबित किया है। मूलाराम हमारे खेत पर कब्जा करने आया तब मारा गया। कोर्ट के फैसले (प्रदर्श–4) से भी यही साबित है। वकील प्रतिवादी ने इसका विरोध किया कि वादी स्वयं के बयान से भी इनका कब्जा होना नही पाया जाता है तथा कोर्ट के फैसले को हूबहू यहाँ चस्पा नहीं किया जा सकता है। कब्जा साबित करने का दायित्व वादी का है जिसे वह पूरा नही कर सका है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादी स्वयं अपने बयान में अपना कब्जा संदेह से परे साबित करने में असफल रहे है अतः यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं.– 4. आया तहसीलदार के विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस नही देने से वाद खारिज योग्य है?

(जिम्मे प्रतिवादी)

यह तनकी कानूनी है। वादी ने अपने वाद के पैरा सं. 3 में अंकित किया है कि खातेदारी घोषणा व बंटवाड़ा का दावा में राज्य सरकार आवश्यक पक्षकार होने से तहसीलदार नागौर को पक्षकार बनाया गया है जिसका जवाब प्रतिवादी ने अपने जवाब दावा में अंकित किया है कि तहसीलदार जी के विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। बिना वैधानिक नोटिस के ऐसा वाद काबिल चलने के नही है। मेरी विन्रम राय है कि इस दावे में तहसीलदार एक वैधानिक पक्षकार है जिन्हें आर.टी. एक्ट के नियम 53 के तहत बंटवाड़ा के लिए आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। वादग्रस्त भूमि सीधी राजस्थान सरकार से धारित भूमि राजस्व रेकर्ड के अनुसार नही है अतः तहसीलदार नागौर को 80 सी.पी.सी. के नोटिस की आवश्कता नही है। इस प्रकार यह तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध निर्धारित की जाती है।

सहायक कलेक्टर (मु.)
नागौर

तनकी सं.– 5. वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई बिनाय दावा पैदा नही होने से भी वाद खारिज योग्य है

(जिम्मे प्रतिवादी)

वादी ने अपने वाद के पैरा सं. 5 में अंकित किया है कि बिनाय वाद वादी के पिता का नाम गलत लिख देने व घरेलू तालकिया विभाजन का रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने से बहंक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बमुकाम कुचेरा में पैदा हुआ। जिसका जवाब प्रतिवादी ने दिया है कि ऐसा कोई बंटवाड़ा हम प्रतिवादी के साथ नही हुआ है और न ही होने का प्रश्न ही पैदा होता है। वादग्रस्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 10.06.1968 के राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई है जिसमें वादी अपना नाम सही बताते हुए पिता का नाम गलत अंकित करना बताते है जिसे सहखातेदार प्रतिवादी अस्वीकार करते हुए कोजाराम के अंकित नाम को अपने भाई पूनाराम का नाम बताते हुए कहते है कि पूनाराम को बचपन में कोजाराम ही कहते थे। वादी अपना कब्जा संदेह से परे निर्बाध व निर्विवाद रूप से साबित करने में उपर्युक्त विवेचन अनुसार असफल रहे है अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के हक में निर्णित की जाती है। वादी द्वारा अपने कब्जे में बेचान दस्तावेज रखने के बावजूद कोई शुद्धि पत्र समय रहते हुए पक्षकारों के मध्य नहीं कराया है।

वादी दस्तावेजी तथा मौखिक साक्ष्य से अपनी सहखातेदारी व कब्जा काश्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहे है अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक **15.04.2021** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

(रामजस विश्नोई)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (मु.)
सहायक कलेक्टर (मु.)
नागौर